रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 13 अगस्त, 1992/22 श्रावण, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोकायुक्त कार्यालय

(जांच आयोग)

अधिसूचना

शिमला-171002, 6 अगस्त, 1992

संख्या 5(ई०)5-1/92-(15-ए)-लोका.—फिगासक एस्टेट में दीपक गैस्ट हाऊस के नाम से जाना जाने वाला भवन तारीख 15-7-1992 की रात को गिरने के कारण 20 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कई अन्य घायल हुए थे ;

और जन-साधारण उक्त घटना के कारणों की न्यायिक जांच की मांग कर रही है ;

और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि उक्त घटना की जांच के लिए, जो कि सार्वजनिक महत्व का मामला है, जांच आयोग की नियुक्ति अत्याधिक समीचीन और लोकहित में होगी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश, की पूर्व सहमति से, माननीय न्यायामूर्ति आर0बी0 मिश्र, लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश को इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में निम्नलिखित मामलों की जांच करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं :—

टर्मज आफ रैफरैंस

(क) क्या उक्त भवन के निर्माण में नगर निगम शिमला द्वारा लागू कानून का कोई उल्लंघन हुआ है?

(ख) इस घटना के क्या कारण थे तथा क्या इस घटना को बचाया जा सकता था?

(ग) क्या ऐसे उल्लंघनों के मामले में, पानी व बिजली के कनैक्शन दिया जाना उचित है तथा इस निमित्त कोई अन्य कार्रवाई की जानी चाहिए?

(घ) इस घटना के उपरान्त किंगासक एस्टेट में कोई अन्य घटना या घटनाएं सम्भावित है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या उपाय करने आवश्यक हैं?

(च) क्या जो निर्माण किया गया था वह विहित माप-दण्डों के अनुसार था?

(छ) क्या टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग इत्यादि द्वारा विहित मापदण्डों का दृढ़ता से पालन किया गया था?

(ज) क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले उस भूमि (स्थान) के स्टराटा के बारे में किसी विशेषज्ञ की राय ली गई थी अथवा नहीं?

(झ) क्या इस भवन की ऊंचाई विहित माप-दण्डों के अनुसार थी?

(ट) क्या वर्तमान में इस भवन के नीचे अथवा आस-पास खुदाई का काम जारी था जिसकी बजह से यह घटना घटी?

(ठ) क्या इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए वर्तमान कानून में संशोधन की आवश्यकता है, जिससे कि इस प्रकार की हानि रोकी जा सके?

(ड) उपरोक्त के अतिरिक्त कोई अन्य कारण जो इस घटना का कारण बना?

2. अतः अब यह अधिसूचना लोकायुक्त द्वारा और उनके आदेशानुसार जारी की जाती है कि वह व्यक्ति जो इस जांच से सम्बन्धित विभिन्न अनुच्छेदों में उपरोक्त विचारार्थ विषयों से सम्बन्धित शपथ पत्र (पत्रों) तथा जिस विषय में ब्यानकर्ता ब्यान करने में सक्षम हों, आमंत्रित करते हैं। ऐसे शपथ पत्र (पत्रों) केवल उन्हीं विषयों तक पूर्णतया सीमित होन चाहिए और तथ्यों का विवरण जो कि शपथ पत्र (पत्रों) में दर्शाना हो मद विषयों से विशेष तौर पर सम्बन्धित होना चाहिए। ऐसे शपथ पत्र (पत्रों) ठीक ढंग से निम्नलिखित प्रकार से सत्यापित होने चाहिए जैसे—"कि उपरोक्त शपथ पत्र (पत्रों) में अनुच्छेदों ..... में वर्णित विवरण मेरी जानकारी के मुताबिक सही हैं" और यदि विवरण प्राप्त सूचना से लिया गया है "कि अनुच्छेदों ..... में दिया गया विवरण ..... (सूचनादाता का नाम) निवासी ..... से प्राप्त सूचना पर आधारित है और मैं इसे विश्वसतः सही मानता हूं। यदि सूचना हिमाचल प्रदेश सरकार के किसी कर्मचारी से प्राप्त हो और ब्यानकर्ता उसका नाम शपथ पत्र (पत्रों) में नहीं दर्शाना चाहता हो तो सत्यापन इस प्रकार होना चाहिए "कि अनुच्छेदों ..... में दिया गया विवरण सरकारी स्त्रोत/स्त्रोतों से लिया गया है।" प्रत्येक मूल शपथ पत्र (पत्रों) तथा इसकी एक प्रतिलिपि सहित इस अधिसूचना के

जारी होने के 15 दिनों के भीतर लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय "पाईन्ज ग्रोव भवन", शिमला-171 002 में किसी भी कार्य दिवस को सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दायर होना चाहिए। यदि शपथ पत्र (पत्रों) उपरोक्त ढंग से सत्यापित न किए गये हों या उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय के अन्दर दायर न किए जाएं तो उन शपथ पत्र (पत्रों) पर लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश, द्वारा कोई भी विचार नहीं किया जायेगा।

3. जब भी व्यानकर्ता को बुलाया जाए तो वह लोकायुक्त, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में उपस्थित हो और उसके पास जो भी दस्तावेज मौजूद हों, और इस जांच से सम्बन्धित अन्य सूचना भी प्रस्तुत करें।

आदेश द्वारा,

राजेन्द्र भट्टाचार्य,
आयुक्त एवं सचिव
लोकायुक्त जांच आयोग, हि० प्र०।

OFFICE OF THE LOKAYUKTA
(COMMISSION OF INQUIRY)

NOTIFICATION

Shimla-2, *the 6th August*, 1992

No. 5 (E) 5-1/92-(15-A)-Loka.—Whereas due to collapse of the building known as Deepak Guest House in Fingask Estate on the night of 15-7-1992, 20 persons died and several others got injured ;

And whereas general public is demanding judicial inquiry into the causes of said incident ;

And whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that it would be more expedient and in public interest to appoint a Commission of Inquiry to inquire into the aforesaid incident which is a matter of public importance;

Now, therefore, Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952, with the prior consent of the Lokayukta, Himachal Pradesh is pleased to appoint Justice R. B. Mishra, Lokayukta, Himachal Pradesh as the Commission of Inquiry and to Inquire into and report on the following matters in relation to aforementioned incident within 3 months from the date of publication of this notification in Rajpatra, Himachal Pradesh :—

(*a*) As to whether there was any violation of laws enforced by the Municipal Corporation, Shimla in the construction of said building?

(*b*) what were the reasons of this incident and as to whether this incident could have been averted?

(*c*) As to whether in the cases of such violations, it will be proper to grant water and electricity connections and any other action should be taken in this respect?

(*d*) As to whether any other incident or incidents are apprehended in Fingask Estate after this incident and what measures are necessary to prevent such incidents in future?

(*e*) As to whether the construction work done was in accordance with the norms prescribed?

(*f*) As to whether norms prescribed by the Town and Country Planning Department etc. were strictly complied with?

(*g*) As to whether any expert opinion about the strata of that land (site) was obtained before starting construction work?

(*h*) As to whether the height of this building was in accordance with the norms prescribed?

(*i*) As to whether excavation work was going on beneath the building and its surroundings due to which the incident occurred?

(*j*) As to whether there is any necessity to amend the existing laws to prevent such incidents in order to prevent such loss?

(*k*) In addition to above any other cause which might have led to this incident?

2. Now, therefore, this notification is issued, by and under the order of the Lokayukta, Himachal Pradesh, inviting all persons acquainted with the subject matter of the Inquiry to furnish to the Lokayukta, affidavit(s) containing a statement of facts set out in several paragraphs relating to terms of reference, mentioned above, as to which the deponent is competent to depose. Such affidavit(s) must be strictly confined to those matters only and the statements of facts to be set forth in the affidavit (s) must be expressed to be related to particular items of reference. Such affidavit(s) must be properly verified in the following manner, namely— "That the statement in paragraphs.....of the foregoing affidavit (s) are true to my knowledge", and in case the statements are derived from the information received, "That the statements in paragraphs.....are based on the information received by me from .....(naming the informant) residing at.....and believed by me to be true". If the information has been received from an official from the Government of Himachal Pradesh and the deponent does not desire to disclose his name in the affidavite (s), the verification should be "That statements contained in paragraphs..... .....are derived from official source/sources". The original affidavit(s) with a duplicate copy of each must be filed within 15 days from the date of issue of this notification at the office of Lokayukta, Himachal Pradesh, "Pines Grove Building, Shimla-171 002" on any working day between the hours of 10.00 A.M. to 5.00 P.M. Affidavit(s) not varified in the manner indicated above or not filed within the date and time specified above will not be taken into consideration by the Lokayukta, Himachal Pradesh.

3. Also if and when called upto to do so, the deponent should attend the office of the Lokayukta and produce documents which he may have in his possession or furnish any further information regarding the subject matter of Inquiry.

By order,
RAJENDAR BHATTACHARYA,
Commissioner-cum-*Secretary* (*Lokayukta*),
and Commission of Inquiry, Himachal Pradesh.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।